संख्या- 184/2024/बु0वि0नि0 916/35-1-2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
चित्रकूट ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर , 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड विकास निधि( राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद चित्रकूट की 01 परियोजनाओं पर 6% अतिरिक्त जी०एस०टी० की धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-357/पू0व0नि0/राज्यांश/2023-24/25, दिनांक 21.11.2024 एवं पत्र सं0 887, दिनांक 04.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट याचिका सं0 1493/2024 मेसर्स धर्मेंद्र कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में जनपद चित्रकूट की 01 परियोजनाओं के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जी0एस0टी0 गणनाशीट, मांग पत्र, एनेक्जर-2, जी0एस0टी0 नोटिफिकेशन आदि सलंग्न कर उपलब्ध कराते हुये 6% अतिरिक्त जी०एस०टी० की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बुन्देलखण्ड विकास निधि( राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अंतर्गत लोक निर्माण अनुभाग-14 के शासनादेश संख्या-23-14099(099)/1/2021 लो0नि0वि0-14 संख्या-8/2022/आई/130547/2022, दिनांक 07.01.2022 द्वारा भदेवरा से पियरिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य "की परियोजना पर रु0 136.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 के क्रम में आपके द्वारा 6% बढी हुई अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि की गणना कर उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कालम संख्या-8 में अंकित पुनरीक्षित लागत रू0 143.32 लाख(रूपये एक करोड तिरालिस लाख बत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष कॉलम सं0-9 में अंकित 6% अतिरिक्त जी0एस0टी0 हेतु मांगी गयी/अवमुक्त की जाने वाली जी0एस0टी0 हेतु देय धनराशि रू0 06.24 लाख (रूपये छ: लाख चौबीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बुन्देलखण्ड विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या -40 (धनराशि लाख रू0 मे)

| क्र | स्वीकृति से सम्बन्धित मूल/पुनरीक्षित शासनादेश संख्या व दिनांक | कार्य/मार्ग का नाम | कार्य की तकनीकी स्वीकृति 12% जी0एस0टी सहित | अब तक आवंटन | अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि | तकनीकी स्वीकृति के सापेक्ष 6% की दर से अतिरिक्त धनराशि | कार्य की तकनीकी स्वीकृति 18% जी0एस0टी सहित पुनरीक्षित लागत | 6% अतिरिक्त जी0एस0टी हेतु मांगी गयी/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | शासनादेश संख्या -23-14099 (099)/1/ 2021 लो0नि0वि0-14 संख्या-8/2022/ आई/130547 /2022, दिनांक 07.01.2022 | भदेवरा से पियरिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य | 136.08 | 122.39 | 1.60 | 7.24 | 143.32 | 6.24 |

(रूपये छ: लाख चौबीस हजार मात्र)

3. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढ़ंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।
2. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
7. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
9. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
10. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2025 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
11. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियें के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
14. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या–10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
17. विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश की नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0- 06.24 लाख (रूपये छ: लाख चौबीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक ''4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य -800- अन्य व्यय04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य की मद ''के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024,दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 184/2024/बु0वि0नि0/ 916(1) /35-1-2024,तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल ।
8. जिलाधिकारी, चित्रकूट ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चित्रकूट ।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।